न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	07 / 2025	जी.सी.एम.एस. नम्बर	2025 / 47
दायर दिनांक	17.01.2025	निर्णय दिनांक	07.08.2025

1. पंकज कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नी कालूसिंह जाति राजपूत निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

वादिनी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता वादिनी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप में वादिनी के पैतृक खातेदीर अधिकारों एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1877 / 3002 रकबा 75–00 बीघा स्थित है। उक्त भूमि वादिनी की पैतृक है जो पूर्व में वादिनी के पिता गोपालसिंह पुत्र रूगनाथसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। वादिनी के पिता गोपालसिंह पुत्र रूगनाथसिंह का देहान्त होने पर वक्त विरासत नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल वादिनी के लाड व प्यार एवं घर में बोलता नाम मोहनकंवर होने से वादगस्त भूमि के विरासत नामान्तरकरण संख्या 767 ग्राम नोख में वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम पंकज कंवर के स्थान पर लाड प्यार व बोलचाल का नाम मोहनकंवर पुत्री गोपाल सिंह अंकित कर दिया जबकि वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम पंकज कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नी कालूसिंह है। जिसकी घोषणा करवाने का यह दावा पेश है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 1877 / 3002 रकबा 75–00 बीघा भूमि में वादिनी का नाम मोहनकंवर पुत्री गोपालसिंह दर्ज है जबकि वादिनी के पहचान संबधित दस्तावेज में पंकजकंवर पुत्री गोपालसिंह है। वादिनी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादिनी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादिनी पंकज कंवर के बयान पी.डब्लू–1, सुगनसिंह पुत्र सगतसिंह के बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता वादिनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2079–2082 ग्राम नोख पटवार हल्का नोख के खसरा नम्बर 1877 / 3002 रकबा 75–00 बीघा स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व रेकर्ड में मोहनकंवर पुत्री गोपालसिंह दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ग्राम पंचायत नोख द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम पंकज कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नी कालूसिंह है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख के खसरा नम्बर 1877 / 3002 रकबा 75–00 बीघा भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मोहनकंवर पुत्री गोपालसिंह के स्थान पर पंकज कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नी कालूसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. पकज कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नी कालूसिंह जाति राजपूत निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

वादिनी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 07/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राणीदानसिंह मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख के खसरा नम्बर 1877/3002 रकबा 75–00 बीघा भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मोहनकवर पुत्री गोपालसिंह के स्थान पर पंकज कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नी कालूसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.08.2025 को जारी की गई।

07/8/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।